THE BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES.

The 22nd August, 1938.

Proceedings of the Bihar Legislative Assembly assembled under the provisions of the Government of India Act, 1935.

The Assembly met in the Assembly Chamber at Patna on Monday, the 22nd August, 1938, at 11 A.M., the Hon'ble the Speaker, Mr. Ram Dayalu Sinha, in the Chair.

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER.

DRAIN NEAR THE BANKIPORE LAWN.

15. **Mr. SHAIKH MUHAMMAD FAZLUR RAHMAN**: Will Government be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that the big drain running from the south to the north near the Bankipur lawn, the sullage of which falls into the Ganges, ceases to work when the Ganges is in high flood during the rains, the gate of the drain being locked to check the onrush of the water of the Ganges;

(*b*) whether it is a fact that a pump was installed to discharge the sullage of the said drain into the aforesaid river;

(*c*) whether it is a fact that the Patna City municipality has stopped the pumping out of the water of the aforesaid drain and has decided to dispense with the pumping installation;

(*d*) whether it is a fact that with the accumulation of rain water together with the sullage in the aforesaid drain, the entire locality of the Bakerganj area has become surcharged with a foul smell thus causing great inconvenience to the inhabitants of the said locality, the cinema goers and those who attend the Bakerganj mosque and the Bakerganj Church and spreading fever epidemic among the aforesaid inhabitants, particularly those who reside near the aforesaid drain;

(*e*) whether Government propose to take any action in the matter?

Mr. BINODANAND JHA: (*a*) and (*b*) The answer is in the affirmative.

(*c*) The answer is in the negative.

The pump is working 16 hours daily.

380 Legis.

may start the work. I can give him some idea of how they are to be dealt with. Another question is that he must study the case of a few villages and not take up the case of the whole district. Gaya is a big district. He may study a few cases of Aurangabad, Jahanabad and other subdivisions. Similar is the case with Patna. In Barh the question is not as acute as in Bihar subdivision or Dinapur, etc. In canal area the question is different. He may study isolated cases of the different subdivisions and then he may form some idea as to how to proceed with. If he follows this, I think the task will not be heavy and difficult and most likely things will appeal to both the *zamindars* and tenants. They will realise their own conditions. What are we getting out of *bakasht* land ? We also suffer. We do not get any crop on account of the neglect of the irrigation work. About the case of co-sharer, it is more difficult. Government will have to tackle it more carefully. I have no reason to press my motion. My object was simply to bring the matter to the notice of Government. Sir, I beg leave of the House to withdraw my motion.

The motion was, by leave of the Assembly, withdrawn.

The Hon'ble the SPEAKER: The question is :

That a supplementary token sum of Rs. 15 be granted to the Provincial Government to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1939, in respect of " General Administration " for the new services indicated in the schedules at pages (lxvi), (lxvii) and (lxviii) of the Supplementary Statement of expenditure.

The motion was adopted.

The Hon'ble the SPEAKER: In pursuance of the order determined by the House, in the first hour today, the next demand to be taken up is no. 5.

*CO-OPERATION.

The Hon'ble Mr. ANUGRAH NARAYAN SINHA: Sir, I beg to move :

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,61,874 be granted to the Provincial Government to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1939, in respect of " Co-operation ".

This motion is made on the recommendation of His Excellency the Governor.

APPOINTMENT OF A SPECIAL OFFICER AND HIS STAFF IN THE CO-OPERATIVE DEPARTMENT IN CONNECTION WITH THE SCHEME FOR THE REHABILITATION OF THE CO-OPERATIVE MOVEMENT.

Dr. Sir GANESH DUTTA SINGH: Sir, I beg to move :

That the provision of Rs. 10,825 for the " Co-operation—Direction " be reduced by Re. 1.

By this I want to discuss the question of Direction.

*For details vide appendix G incorporated in the debates of the 18th August, 1938.

Sir, at the outset I desire to bring to the notice of the Assembly what they have been talking all these months. Every one has been raising the cry of indebtedness of tenants ; and what proposals have been made. They are to reduce the rent, to reduce the amount of debt and to give all other relief by reduction and remission. Not a word has been said as to how tenants in future will manage their own affairs if the credit is gone. Practically the result of all these enactments is that there is no credit. The Act has been passed and those people who are in touch with the village people know that they have practically no credit. There is no money-lending business. It has stopped. You have reduced the rate of interest, and no body is ready to advance money at cheap rates and have all the troubles. You have applied the law that a portion of the property will be sold and not the entire holding or the entire property. But you have not looked into the fact of the question as to how they are to get money. As far as I know the Co-operative Department is the only department which can advance money at cheap rates and it has been doing so in many villages, but not to that extent that it ought to have done. And why ? Because the money advanced by the Co-operative Department has not been returned. There are a few reasons for this why the Co-operative movement has been a failure. The first reason is that the officers in charge of society and banks have been careless and dishonest. I say dishonest also. Then the borrowers have also acted dishonestly and they are also in the habit of non-payment. This is the habit with us not to care for payment, after we have taken loan. I may also mention that *zamindars* were not in favour of this movement and they put all sorts of discouragement. Discouragement was in this way that when a tenant wanted to deprive the Co-operative bank, a suit was brought in collusion with the tenant. The holding was sold and the money was lost. Then, Sir, there were legal difficulties. They have been greatly removed. I know one reason for the failure of the provincial bank and that was the non-trasferability of the holding. The Co-operative Department cannot get the holding sold and that was also subject to the rent charge of the *zamindar*. There is another matter which I would bring to your notice. The Hon'ble Mr. Anugrah Narayan Sinha is also a Minister for Local Self-Government Department. Government is also responsible for this condition of the co-operative banks. Government constituted the societies and banks but did not trust them themselves. They said that Government money should not be there. Why ? Because it is not safe. District board and municipal funds should not be there. Why ? Because they cannot be trusted. What will be the impression of the public when you yourself do not trust the movement ? These are the reasons. There are others also which also resulted in the failure. I would not like to mention the name, but some of the big depositors take away their money from the bank when the interest becomes less. When they get 6 or 7 or 8 *per cent* they deposit the money, but withdraw it as soon as the rate is lowered down. Another reason is also that the deposit is not considered safe. These are the causes which brought out the present condition of the co-operative movement and Government as a Government, as representatives of the public must with firm hand deal with the question.

What are the remedies? The first reason is, as I have mentioned, that societies were created carelessly and dishonestly. Before creating societies or advancing money, the conditions of borrowers should be very carefully examined. I may mention here that it throws great discredit upon the public, upon the Indians, that they cannot manage their own affairs. Now that the Congress has taken charge of office, the conditions of the people should change. I would like to see how the Congress people in charge of the co-operative societies manage their affairs honestly. If they do it, they will discharge public duty. If they do not, they cannot claim that they are honest people. It is a habit with us that we never care to pay. I shall like to deal with the remedy as to how they may be compelled to pay when I come to that item. Landlords cannot stand in the way, because under the law all holdings have become transferable and, therefore, tenants can any moment transfer their holding and pay the co-operative banks. I have already said that the Bengal Tenancy Act was responsible to some extent, but now the conditions are changed and there is no question for that. I may mention here that the Money-lenders Act does not help the co-operative movement to that extent it ought to have. There is the clause to which I shall refer later on, section 3, under which Government can exempt any bank or society or creditor. I may mention that this difficulty has been felt in Bengal and Bengal is introducing a Bill in which lots of changes have been brought about. First there is complete exemption of the co-operative societies from registration and all the provisions of the Money-lenders Act. That principle I think before passing order under section 3 should be examined. The other day a large number of people came to talk with me and to know why Government loan was subscribed in excess. What is the secret of it? There is dearth of money everywhere. Government want loan at 3 *per cent* and that is over-subscribed. Why? The reason is very simple. Depositors know that money is safe and it will be returned any moment with interest. If you want to revive the co-operative movement, make the realization as certain as anything. Let 100 tenants and 100 *zamindars* be sacrificed but the co-operative movement should live because it is the only means to help the tenants. I will now give another reason. For instance, you have put difficulties in the way of creditors by registration and all such things, reduction of rent, portion of holding to be sold, but you will not have any difficulty in depositing money in the co-operative banks. If I find that my money is safe in the co-operative bank and it is as good as Government loan, I shall put my money in the co-operative bank and if the co-operative bank is certain that the money will be returned, it can advance money to the villagers on 4 or 5 *per cent* interest, but the point is that the co-operative bank should be certain of realization. For these two things are essential. The first is careful investment. There should be no question of trusting dishonest people who allow money to their friends and other people to defraud the co-operative bank. The other thing is that the realization of the advance on due date should be as certain as anything whether it is a long-term or short-term loan. It should be preached to the tenants that money must be returned and it is their first duty and if it is necessary to adopt drastic measures, Government should not hesitate in that. In every village there are some respectable and well-to-do people

who are not in favour of this movement because they want to purchase the holdings of the tenants. I, therefore, submit that before an application is made, local enquiry should be made as to whether the man is hopelessly in debt and so on. The second thing is that big depositors of the bank should not be allowed to draw their money all at once. They must not be allowed to draw more than 25 *per cent* at one time. For instance if I put in 5 *lakhs* in a co-operative bank and I want to take back the money on the due date say on the 31st of August, any co-operative bank will be upset if it has to return 5 *lakhs* at one time. Now section 3 of the Money-lenders' Act runs thus:—

> The Provincial Government may, by notification, for any special reason or reasons to be stated in such notification, exempt any money-lender or class of money-lenders or any class of loans in the whole or in any part of the province from the operation of all or any of the provisions of the Act.

I think it is the duty of Government to issue this notification as early as practicable, and not to wait and see what the result is. I know the result is that the money advanced is not being paid. If a notification is issued exempting the co-operative banks from the operation of the Money-lenders' Act I think realization will be more satisfactory. So my submission is that there are two matters which must be very carefully examined. The first is carefull investment. Ask the officer in charge to make careful enquiry: if you have got honest congressmen, put them in charge of societies and ask your officers to inspect the work and then make the law of realization as strict as practicable, if you want to save this movement, otherwise send the whole thing to liquidation, realize the money and close it, but that will be to the discredit of your men and your country.

Mr. RAMESHVAR PRASAD SINHA:

माननीय सभापती जी, को-आपरेशन के बारे में जो कुछ माननीय सर गणेशदत्त सिंह ने कहा है उसके अधिकांश अंशों के साथ मैं भी सहमत हूं। वास्तव में यह को-आपरेटिव मूवमेंट जिस रही हालत में है और इसके credit विभाग की जो दशा है, इसको देख कर यह मानना पड़ेगा कि इस आन्दोलन में फिर से जीवन लाना पड़ेगा। माननीय सर गणेश दत्त ने कहा है कि वसूली में कड़ाई करनी पड़ेगी। मैं उनसे पूछता हूं कि वसूली में वे कड़ाई क्या और कैसे करेंगे। जिन लोगों ने रुपये लिये हैं उनकी हालत ऐसी बिगड़ गई है कि उनसे रुपये वसूल कर लेना मुश्किल ही नहीं असम्भव प्रतीत होता है। यह मैं मानता हूं एवं बड़े बड़े को-आपरेटरों का भी यही मत है कि शुरू में जो रुपया लगाया गया उसके पहले रुपया दिये जाने वालों की हैसियत की जांच ठीक तरह से नहीं की गई; किन्तु यह गलती हो गई। अब तो इससे सबक लेने के सिवा और हम कर ही क्या सकते हैं। आन्दोलन के

गिर जाने का एक और कारण है और वह यह है कि जब यह मूवमेंट जारी हुआ उस समय से आज तक यह आन्दोलन चौबीस घंटे कमर कस कर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के हाथ में नहीं रहा । यह भी बहुत अंशों में ठीक है कि इसमें ज्यादेतर ऐसे ही लोगों का बोलवाला रहा जिनके सिर पर और कामों का बोझ भी रहता था इसलिये वे पूरा समय देकर एवं दिलचस्पी के साथ इस काम को नहीं कर सके और तभी तो बिना सोचे समझे जिस किसी को रुपये दे दिये गये। मगर अब तो हालत यहां तक पहुंची है कि अगर आप वसूली में कड़ाई करके इस मूवमेंट का सुधार करना चाहते हैं तो मेरी समझ में आप भ्रम में हैं ।

Dr. Sir GANESH DUTTA SINGH: If it is not practicable to realise the money, let Government pay it and remit the amount.

Mr. RAMESHVAR PRASAD SINHA:

ठीक है, मैं भी तो यही अर्ज कर रहा था कि अब हमलोग ऐसी जगह पर पहुंच गये हैं जहां हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस मरे हुये मूवमेंट में फिर से जान किस प्रकार डाली जाय। यह हम जानते हैं कि सरकार इस काम में पूरी तत्पर है और कांग्रेसी सरकार ने जब से सूबे के शासन की बागडोर अपने हाथों में ली है तब से पूरा समय देकर बड़े २ कोआपरेटरों की राय से इस मूवमेण्ट को चलाने का प्रयत्न वह जरूर कर रही है।

इस प्रसङ्ग में मैं को-आपरेटिव डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रार साहब की भी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता हूं। मुझे यह मालूम है कि इस डिपार्टमेंट को सुधारने के लिये माननीय डाक्टर सैयद महमूद साहब के साथ वे हाथ बटाने में जरा भी कसर नहीं रखे हैं। यह उन्हीं के प्रयत्न का फल है कि आज प्रान्त के कतिपय सेंट्रल बैंकों में सिलसिले से जांच शुरु हो गई है एवं बहुत जल्द यह जांच खतम भी हो जायेगी, ऐसी आशा है। यह जांच बहुत सावधानी से हो रही है। इसके जरिये मेम्बरों की आर्थिक स्थिति का पूरा २ पता लगाया जा रहा है। मेम्बरों की हैसियत अब क्या रह गई है, उनके पास रुपयों को अदा करने का कितना साधन है एवं कितने ऐसे मेम्बर हैं जिन से अब रुपये वसूल ही नहीं हो सकते हैं। यह जांच जब खतम हो जायेगी तब सरकार को इस बात का पता चल जायगा कि इस आन्दोलन में जीवन प्रदान करने के लिये कितनी मदद करनी

पड़ेगी। बिना जांच पड़ताल किये सरकार किस आधार पर इस मूवमेंट (movement) को मदद करेगी? इतना ही नहीं सरकार ने इस काम को केवल रजिस्ट्रार साहब के ऊपर ही नहीं छोड़ा है। एक rehabilitation committee भी बनी है जिसमें अनुभवी एवं चतुर कोअपरेटर्स रखे गये हैं। यह कमिटी भी इस आन्दोलन को काया पलट करने के लिये अनवरत श्रम कर रही है। सभी बातों पर गौर करके एवं बैंकों तथा सोसाइटियों की असली परिस्थिति को जान कर यह कमेटी सरकार के यहां इस आन्दोलन को किस तरह से जिलाया जा सकता है, उस सम्बन्ध में सिफारिश करेगी। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है? ऐसा कहना तो सरकार के साथ अन्याय करना होगा।

माननीय सर गणेश दत्त सिंह ने यह भी बतलाया है कि साहूकार कानून (Money Lenders Act) की धारा ३ के अनुसार को-ओपरेटिव सोसाइटियों एवं बैंकों को इस नये कानून से बरी कर देना चाहिये। मेरे विचार से ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इसका असर बहुत बुरा होगा क्यों कि लोग यह समझने लगेंगे कि को-आपरेटिव सोसाइटियों एवं बैंकों के यहां जाने से क्या फायदा है। जनता समझती है कि कहने को ही यह आन्दोलन लोगों की भलाई के लिये चलाया गया था, किन्तु वास्तव में इन बैंकों द्वारा महाजनी का काम और भी बुरे तरीके से चलाया जा रहा है। इस शिकायत को आप को दूर करना है; किन्तु कड़े रेट से सूद पर रुपया लगा कर आप इस शिकायत को और भी पुष्ट कर देंगे। एक बात और है। नये कानून के मुताबिक जब कम शरह सूद पर ही रुपये लगाने के लिये लोग अभ्यस्त हो जायेंगे तब को-अपरेटिव बैंक यदि ज्यादे सूद पर रुपया लगाना चाहेगा तो इसका कारबार भी बहुत कम हो जायेगा। इससे भी इस आन्दोलन को क्षति पहुंचेगी। इन्हीं कारणों से मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि को-आपरेटिव सोसाइटी एवं बैंकों को इस नये कानून के दायरे से बाहर रखा जाय।

सर गणेश दत्त सिंह ने यह भी बतलाया है कि भारतीय विचारधारा ही कुछ ऐसी है कि यहां रुपया लेकर लोग देना नहीं चाहते हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। ऐसे कुछ लोग सभी देशों में मिल जायेंगे जिनकी नियत रुपयों को हड़प जाने की है; किन्तु इसी बिना पर आप सभी लोगों की ईमानदारी पर शक नहीं कर सकते हैं। असल बात

तो यह है कि लोगों में अब रुपये चुकाने का कोई भी साधन रह ही नहीं गया है। जान बूझ कर लोग रुपये नहीं देते हैं, यह बात नहीं है। मुझे भी मुजफ्फरपुर Central Co-operative Bank के डाइरेक्टर के नाते वसूली की निस्बत कुछ अनुभव है। मुझे मालूम है कि अभी भी पूरी मुस्तैदी से चेष्टा करने पर जो लोग रुपये देने के लायक हैं, उनसे तो रुपये वसूल हो जाते हैं; किन्तु जो बर्बाद हो गये हैं एवं जिनके पास कुछ भी रह ही नहीं गया है वे कहां से तथा कैसे रुपये देंगे? कड़ाई करके आप उन्हें और भी तबाह कर सकते हैं; किन्तु रुपये तो आप उनसे कभी भी वसूल नहीं कर सकेंगे।

इसलिये मैं फिर भी यही कहूंगा कि बिना सरकार की मदद के इस आन्दोलन में जान नहीं आ सकेगी। किन्तु जब तक सारी बातों का ठीक २ पता न लग जाय तब तक हठात् कोई ग्रांट (grant) सरकार देदे, इसके लिये सिफारिश करना भी अनुचित ही नहीं; बल्कि मूवमेंट (movement) के लिये भी हानिकारक ही होगा। साथ ही साथ सरकार को यह भी चेष्टा करनी पड़ेगी कि इस मूवमेंट (movement) के अन्दर फिर भी वे बुराइयां नहीं आने पावें, जिनके द्वारा इसकी यह दशा हो गई है। इस मूवमेंट (movement) को सुचारु रूप से चलाने के लिये अनुभवी एवं सच्चे बैंकों के हाथ में इस आन्दोलन की बागडोर को देना पड़ेगा। स्वार्थी एवं मतलबी लोगों से इस आन्दोलन को दूर रखना पड़ेगा। Trained workers अर्थात् को-ओपरेटिव विभाग के कामों को किस तरह से चलाना चाहिये, इसकी शिक्षा जिन्हें मिल चुकी है, ऐसे ही लोगों को इस आन्दोलन में भर्ती करना पड़ेगा। किन्तु ऐसा करने में समय लगेगा। इसलिये मैं तो यह कहूंगा कि अभी हम लोगों को धैर्य्य से काम लेना चाहिये, एवं सरकार इसकी तरफ पूरी तत्पर एवं संलग्न है। यह जान कर भी उसे दोषी ठहराने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सर गणेश दत्त सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे अपने कट मोशन को उठा लें।

THAKUR RAMNANDAN SINHA:

सभापति जी, को-अपरेटिव डिपार्टमेंट की जितनी शिकायतें की जांय वह सब थोड़ी है। मैं को-आपरेटिव बैंक की हालत को जानता हूं, और इसी लिए

मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहने का मौक़ा मिला है। मेरे मित्र रामेश्वर बाबू ने कहा है कि चूंकि को-आपरेटिव बेंक ऐसे लोगों के हाथ में थे, जिन्हें काम करने की फ़ुर्सत नहीं थी, इसीलिए ये बैंक फेल हुए हैं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि को-अपरेटिव बैंक के फेल करने का सब से बड़ा कारण यह है कि इनमें विशेष ऐसे ही लोग आए जिन्हें इस बात की चिन्ता रहती थी कि राय बहादुरी और खां बहादुरी का खिताब जल्दी से जल्दी मिल जाय। आप गवर्नमेंट का रेकार्ड उठाकर देखेंगे तो आप को मालूम होगा कि को-अपरेटिव डिपार्टमेंट के बहुत से लोगों को रायबहादुर और खां बहादुर की खिताब मिल चुकी है। को-अपरेटिव मूभमेंट शुरु से आखीर तक (officialdom) के आधीन रहा है और यही कारण है कि यह मूवमेंट फेल किया है। अफसर लोग सिर्फ आफ़िस जाकर टेबुल कुर्सी सजा कर बैठते थे। बाहर की हालत का तो उन्हें पता नहीं था। मुफस्सिल की क्या हालत है, रुपया किस हालत में देना चाहिये, किस हालत में नहीं देना चाहिए, आदि बातों का ख्याल उन्हें नहीं रहता था। जिन लोगों को दो पैसे भी नहीं मिलना चाहिए, उन्हें एक हजार, दो हजार रुपये दे दिए गये और वे रुपये लेकर बैठ गये। बहुत सी सोसाइटियों में ऐसे भी मेम्बर रहे हैं जिनके पास एक धूर भी खेत नहीं था, और ऐसे ही लोगों को १० हजार २० हजार रुपये तक दे दिए गये हैं। बहुत सा ऐसा भी केस मिलेगा जिन से लोगों पर एहसान लादने के लिए रुपये दिए गये हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस मूवमेंट में इस तरह के अफसर हैं उस मूवमेंट की क्या हालत होगी। अफसर लोग तो सिर्फ अपनी कागजी कार्रवाई ठीक रखते थे, जिससे उन्हें रायबहादुरी और खां बहादुरी की खिताब मिले, लेकिन वे यह नहीं देखते थे कि जिसे रुपया दिया जा रहा है, उसे रुपया लौटाने की शक्ति है या नहीं।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में आप लोगों ने सुना होगा कि ओवरसियरों को १० प्रतिशत रुपये मिलते हैं। आप को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि को-अपरेटिव बैंकों में भी जहां तहां उसी तरह का रिवाज है। जो आदमी को-अपरेटिव बैंकों में रुपया लेने जाता है, उसे कर्ज का १०, २०, ५० प्रतिशत बैंक के आदमियों को वहीं दे देना पड़ता है। शेष ५० प्रतिशत वह अपने घर लाता है। फिर आप कैसे आशा कर सकते हैं कि जहां इस तरह की धांधली मची हो वहां कर्ज का रुपया वसूल हो सके।

Mr. PRABHUNATH SINHA:

आप कहां का अनुभव कह रहे हैं ?

THAKUR RAMNANDAN SINHA:

मैं सारे बिहार का अनुभव कह रहा हूं। को-आपरेटिव मूवमेंट को पुनर्जीवन देना (Rehabilitation) तो सरकार के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यह काम केवल official agency द्वारा होने को नहीं है। पुनर्जीवन (Rehabilitation) देने के साथ २ सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि घूसखोरी इस डिपार्टमेंट से सदा के लिए बन्द हो जाय। इस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों में जब तक यह दोष रहेगा तब तक इस डिपार्टमेंट की उन्नति नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि आफिसियलडम (officialdom) को इस डिपार्टमेंट से हटना जरूरी है। जब तक आफिशियलडम (officialdom) रहेगा तब तक इस डिपार्टमेंट की कुशल नहीं। को-अपरेटिव बैंकों को जिलाने के लिये उनमें ऐसे लोगों को भेजना चाहिये जो देहाती जीवन से वाकफियत रखते हों और जिनका इस जीवन से सम्पर्क हो। यदि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, तो मैं समझता हूं कि यदि ५० करोड़ रुपये भी को-परेटिव बैंकों को दिये जांय, तो ये सब रुपये हजम कर जायेगें, क्योंकि आज कल बैंकों की हाजमा शक्ति बहुत जबर्दस्त हो गई है।

Mr. JAGJIWAN RAM :

जनाब सदर, पिछली गवर्नमेण्ट से मौजूदा गवर्नमेण्ट को बहुत सी लिगेसी (Legacy) मिली हैं। को-आपरेटिव बैंक भी उसी लिगेसी में से है। माननीय सर गणेश दत्त सिंह जब बोलने को उठे थे, तो हम आशा लगाए बैठे थे कि वाकई वह कोई नयी बात, कोई नया सजेशन (suggestion) देंगे। लेकिन मुझको अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनकी तरफ से कोई नई रोशनी नहीं डाली गयी। उन्होंने को-आपरेटिव डिपार्टमेंट की जितनी समालोचना की है, जितनी क्रिटिसिज्म (criticism) किये हैं, मैं उन समालोचनाओं को इस गवर्नमेण्ट की समालोचना नहीं, बल्कि पहले की गवर्नमेण्ट की समालोचना समझता हूं जिसके कि वे खुद एक प्रमुख अंग थे। (हियर, हियर) मैं यह मानता हूं कि को-

आपरेटिव बैंकों की जो हालत है वह बहुत खराब है लेकिन उसका उत्तरदायित्व, उसकी रिसपौनसिबिलिटी (responsibility) इस मौजूदा गवर्नमेण्ट पर नहीं है।

वर्त्तमान सरकार जब से आफिस में आयी है तब से वह इस बात की चेष्टा कर रही है, कोशिश कर रही है कि को-आपरेटिव बैंकों की हालत सुधारी जाय, उनको पुनरुद्धार (rehabilitate) किया जाय। इसको ठीक तौर से (राइट लाइन) पर चलाने की कोशिश की जा रही है। सर गणेश ने जो कुछ कहा है उसका जवाब रामेश्वर बाबू ने दे दिया है। हम यह मानते हैं कि सोसाइटियों के मेम्बरों को कर्ज देने में लापरवाही से काम लिया गया जिसका नतीजा आज यह हुआ कि यह मूवमेण्ट (movement) हो दल दल में फसा हुआ है। इसको पुनरुद्धार (rehabilitate) करने में गवर्नमेण्ट सोच विचार कर काम करेगी। इसमें जान लाने के लिए बहुत रुपये खर्च करने की ज़रूरत है। इस प्रान्त के केवल एक परसेण्ट आदमी ही इस के मेम्बर हैं और उनका इससे सम्बन्ध है। शेष ९९ परसेण्ट पपुलेशन को-आपरेटिव बैंक के मेम्बर नहीं हैं और वे इसमें शामिल नहीं हैं। सब से पहले यह जरूरी है कि ऐसा काम किया जाय जिसमें शेष ९९ परसेण्ट पपुलेशन को भी इसमें शामिल किया जा सके और उनका भी विश्वास इस में हो। ऐसा करने के साथ साथ इस मूवमेण्ट को चलाने के लिए इस के मेम्बरों के पेइंग कैपेसिटी (paying capacity) को एसर्टेन करना होगा और उनकी paying capacity को बढ़ाने का प्रबन्ध करना होगा। यह देखना होगा कि सोसाइटी से जितना उन्हें दिया गया है उसमें से कितना उन्हें write off करना होगा। इसके सम्बन्ध में जांच पड़ताल करना जरूरी है और डिटेल (detail) जांच पड़ताल की आवश्यकता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस सम्बन्ध में बरमा में इतने डिटेल (detail) में जांच नहीं हुई थी। लेकिन मैं यह बतला देना चाहता हूं कि बरमा में जो जांच हुई थी वह कई एक अंश में यहां की जांच से ज्यादे विस्तृत थी। यह जानना अत्यन्त ज़रूरी है कि प्रत्येक मेम्बर की क्या सम्पति है, उसके परिवार (family) में कितने आदमी हैं, उसकी सालाना आमदनी क्या है, खर्च क्या है, बचत क्या है और रिपेइंग कैपेसिटी (repaying capacity) कितनी है। जब तक इन बातों की पूरी जानकारी नहीं

हासिल हो जाती, जबतक सारी बातों का पता सरकार नहीं लगा लेती, तब तक सोसाइटियों की असली हालत नहीं जानी जा सकती।

इन सब बातों को जानने के लिये रीहैबिलिटेशन इनक्वाइरी (rehabilitation enquiry) आरम्भ कर दी गई है बल्कि दो ज़िलों में समाप्त भी हो चुकी है और और बैंकों की जांच सात आठ हफ्तों में खतम होने वाली है। यह इनक्वाइरी जब समाप्त हो जायेगी तो बैंकों की वर्किंग कमिटि की सलाह से खास बातों पर विचार किया जायेगा और देखा जायेगा कि किन २ सोसाइटियों को बन्द करदेना चाहिये और किन किन को एक में मिला (amalgamate) देना चाहिये। किन मेम्बरों के क़र्ज़ को एकदम छोड़ना (write off) चाहिये और किन २ का कुछ अंश और किन २ से पूरी वसूली हो सकेगी। कितनी सोसाइटियां हैं जिनके पास रुपया है और किन के पास नहीं है। यह भी देखना होगा कि कौन कौन लोग ईमानदार हैं। पहले मेम्बरों को कर्ज़ देने के वक्त गलती की गई है। यह तो देखा गया था कि उनके पास ज़मीन कितनी है लेकिन यह तो नहीं देखा गया कि उससे रेकरिंग इनकम (recurring income) कितनी है, कितनी रिपेइंग कैपेसिटी (repaying capacity) है, कितना दे सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। गवर्नमेण्ट को-आपरेटिव आन्दोलन को ठीक रास्ते पर चलाने के लिए गम्भीरतापूर्वक काम शुरू करेगी। लेकिन इसके पहले यह देखना होगा कि कितने लोग कर्ज के रुपये वापस कर सकते हैं कितने के कर्ज को माफ करना होगा, कितनी दो, तीन सोसाइटियों को एक में मिला कर एक जगह कायम किया जा सकता है। इन सब बातों को देखलेने के बाद गवर्नमेण्ट इस नतीजे पर पहुंचेगी कि किस रूप में इसको चलाया जाए क्योंकि उसी वक्त, गवर्नमेंट समझ सकती है कि इस मद में कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा। एक बात सर गणेश दत्त ने कही है कि मनीलेण्डर्स ऐक्ट की धारा तीन (३) से को-आपरेटिव बैंकों को एक्सजेम्पट (exempt) कर देना चाहिये। गवर्नमेण्ट इस पर कोई डिसिज़न (decision) नहीं देना चाहती है लेकिन इसको कनसिडर (consider) करेगी। इससे ज्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेण्ट खुद उत्सुक (anxious) है कि को-आपरेटिव आन्दोलन का जल्द से जल्द उद्धार किया जाय।

Khan Bahadur SAGHIRUL HAQQ:

جناب والا — میرے محترم سر گنیش صاحب نے co-operative movement کی سدھار کے متعلق اور اس کے پچھلے عیوب کے متعلق اکثر کچھ نہ کچھ فرمایا ہے اور آئندہ کس طرح سے اس کی اصلاح ہونی چاہئے اس کو بھی اکثر بیان کیا ہے اور آج بھی ان کی تقریر میں میں نے کوئی نئی بات نہیں پائی - انہوں نے کل باتیں جو اپنی پچھلی تقریروں میں فرمائی تھیں کم و بیش انہی کو دہرایا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں دہرانا باتوں کا فائدہ سے خالی نہیں ہوتا اسلئے میں انکا شکرگذار ہوں -

آنریبل سر گنیش کی تقریر کے بعد اکثر لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اعادہ کیا - مجھے تقریباً اسمبلی کے ان ممبروں نے جنہوں نے اس debate میں حصہ لیا ہے اتفاق ہے - بے ایمانیاں بھی ضرور ہوئیں اور بے ایمان لوگ بھی ضرور شریک ہوئے organisation میں غفلت بھی ہوئی وغیرہ وغیرہ - مگر مجھے افسوس ہے کہ جتنی اصلی باتیں جن کی وجہ سے یہ movement یا یہ تحریک دقت میں پھنس گئی ان کو کسی صاحب نے نہیں فرمایا - میری رائے ناقص میں سب سے بڑی وجہ اس movement کے دقت میں پھنسنے کی یہ ہوئی کہ ہندوستان سے زمانہ گذرا جمہوریت کی زندگی جاتی رہی چنانچہ co-operation تو بالائے طاق آپ دیکھینگے کہ جہاں کہیں ہندوستانیوں نے joint stock companies قائم کیں وہاں بہت جلد نا کامیابی ہوئی - یہاں آپ دیکھینگے کہ اگر ایک آدمی کاروبار کرتا ہے تو اکثر وہ کامیاب ہوتا ہے چنانچہ اس صوبہ میں ایسے لوگ جو کروڑپتی کہے جا سکتے ہیں انکی کمی نہیں مگر انہوں نے تنہا اپنا کام کیا - جیسے ہمارے ضلع میں نوری میاں اور اس طرف ہمارے دوست مسٹر چکریشور کمار جین ہیں - اکیلے جو چلاتے ہیں انکی خوب چلتی ہے مگر جہاں دوسرے لوگوں کے ساتھ شرکت ہوئی ناؤ ڈوب گئی یہی حال co-operative movement کا ہوا —

ہزار ممبروں کو سکھایا جایا کیا کہ

پنچایت کے گرچہ بھی جیتے رہنا نسائے

بھئی بڑھے شاچھا ملے سب بدہ ہو بھلائے

مگر اس کا بہت ہی کم اثر ہوا -

کارکناں دیہات میں گئے اور اس قسم کا سبق بھی دیا مگر جب واپس آئے تو دیہاتیوں کے دماغ سے یہ بات نکل گئی - جمہوریت کا جذبہ نہیں ہونے سے co-operation نہین ہوا اور وہي ہوا جو non-co-operation کے اثر سے ہوتا ہے -

دوسری بڑی وجہ جو اس موومنٹ کی ناکامیابی کي ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ نے چند آدمیوں سے تھوڑی مدت کے لئے روپیہ امانت لیا اور اسے بڑي مدت یعني long-term loan میں لگا دیا اور جو قسطین قرار دین وہ پانچ سال سے زیادہ کي نہ ہوسکیں مثال کے طور پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ممبر کا ایک بیگھہ کھیت کسی مہاجن کے پاس دو سو روپیہ مین رہن تھا اور اوس نے یہ دو سو روپیہ کو اوپریٹیو سوسائیٹی سے لیکر مہاجن کو دیدیا اور خود کھیت جوتنے لگا اور آپ نے چار برس کی مدت اس کی ادائیگي کي رکھدي یا پانچ سال ہي کي قسط کردي کہ ہر سال ایک قسط ادا ہوا کرے عام ازین کہ برا سے برا سال بھي ہو تو بھی قسط ادا ہو - ایسي حالت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک بیگھہ کھیت سونا اُگلتا کہ وہ ممبر بعد اخراجات ضروری اس قدر گراں قسط اتني تھوڑی مدت میں ادا کر سکتا لہذا انہیں پانچ سات برس میں سود کي رسی اوس کے گلے میں ایسي زبردست پڑگئی کہ ممبر بک بھي گیا تب بھي قرض سے چھٹکارا نہ ہوا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوئی کہ یہ movement دقتوں میں پھنس گیا -

تیسري بات یہ ہے کہ کواپریشن ایک مشکل مضمون ہے جس کو انگریزي زبان میں technical کہہ سکتے ہیں - عموماً غیر سرکاری لوگوں کو تو بالائے طاق رکھئے جو سرکاري لوگ ہیں ان کو بھي اس کا کافی علم نہیں تھا اور اس لئے اس کام میں بڑی غلطیاں ہوئیں - خیر جو کچھہ ہونا تھا وہ ہو چکا پچھلي غلطیاں جو ہوئی تھیں وہ ہو چکیں اون سے ہمکو سبق حاصل کرنا چاہئے میں موجودہ گورنمنٹ کا شکرگذار ہوں کہ جو کچھہ اوس کے امکان میں ہے وہ کر رہی ہے مگر پھر بھی یہ تعمیري کام ایکدن یا دودنوں میں نہین ہوسکتا ہے اس کے لئے وقت کي ضرورت ہے مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ اس کام کي طرف اگر توجہ رکھیگي تو یقیناً چند سالوں میں یہ movement پنپ جائیگا -

دوسری بات سر گنیش دت صاحب نے یہ کہی ہے کہ Money-lenders Act کے دفعات یا provisions سے اس movement کو مستثنی ہونا چاہئے - میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غایت عقلمندی کی بات کہی ہے اور مجھے اس سے بالکل اتفاق ہے وجہ یہ ہے جیسا کہ ہمارے بزرگ نے فرمایا ہے کہ Money-lenders Act کے پاس ہونے کے بعد مہاجن جو روپیہ قرض دیتے تھے وہ اب نہیں دینگے - زیادہ تر co-operation کے ذریعہ سے جہانتک credit side کا تعلق ہے یہ کام چلیگا اس حالت میں جن گاؤں میں سوسائٹیاں پیشتر سے قائم ہیں اور جن کا rehabilitation در پیش ہے اگر Money-lenders Act کے شکنجہ میں آ گئیں تو اُن کا چلنا بالکل نا ممکن ہوگا - مہاجن کی غرض اپنے روپیہ سے محض ذاتی فائدہ اٹھانا ہے اور کوآپریٹیو سوسائیٹی کا کام یہ ہے کہ روپیہ دے اور اس کا سود ایسا رکھے کہ credit اور non-credit side کے اسٹاف جو ممبروں کی تعلیم و مدد کے لئے ہوا کرتے ہیں ان کا خرچ نکل آئے اور نیز امانت داروں وغیرہ کا سود دیا جا سکے - قرض لینے اور دینے کے سود کی شرح میں اگر فرق نہیں ہوگا تو سوسائٹی کا نہ capital یعنی پونجی قائم ہو سکتی ہے اور نہ اسٹاف کا خرچ چل سکتا ہے - یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں - ہمارے دیہات کے غیر تعلیم یافتہ بھائیوں کے لئے non-credit side کی ترقی کا خیال مد نظر رکھنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ پونجی کا قائم کرنا بھی ضروری ہے - اس کے بعد یعنی اپنی پونجی بننے کے بعد سود کی شرح (rate) بہت کم ہو سکتی ہے - میں بغیر کسی راز کو فاش کئے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ سوسائیٹیوں کا قرض گھٹایا جائیگا مگر scale down کرنے کے بعد بھی اگر سو روپیہ اصل قرض ہے اور ۲۵ روپیہ سود وصول ہو چکا ہے اور سو روپیہ سود باقی ہے تو آئندہ کی آسان اور لمبی قسطوں کے اصل زر قرضہ پر مناسب سود لینا ضروری ہوگا ورنہ rehabilitation کا کام ہرگز نہ چل سکیگا ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ سات آٹھ روپیہ سیکڑہ سے زیادہ سود لیا جائے co-operative society عوام کو فائدہ پہونچانا مد نظر رکھتی ہے اس لئے عام قانون سے الگ ہو کر اگر ممبروں کو کچھ تلخی برداشت کرنی پڑے تو اس کو برداشت کرنا چاہئے اس لئے ہمارے محترم سر گنیش دت کی تحریک مناسب ہے - اور گورنمنٹ کا جواب بھی اپنی جگہ پر مناسب ہے کہ جب یہ سوال آئیگا تو غور کرینگے اور

جو فیصلہ مناسب ہوگا وہ کرینگے ۔ مسٹر ٹھاکر رام نندن صاحب نے فرمایا
ہے کہ کام کرنے والے مختلف لالچوں میں پھنسے ہوئے تھے اس لئے movement
کی حالت خراب ہوگئی - انواع و اقسام کی لالچ کے ساتھہ ساتھہ خطابات
کا بھی ذکر کیا گیا ہے میں اس کا کچھہ جواب دونگا - ہم اپنے دوست ٹھاکر
صاحب سے کہدینا چاہتے ہیں کہ ہر عام قاعدہ کے ساتھہ مستثنی بھی
ضرور ہوتا ہے ٹھاکر صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ دو بینک اس صوبہ میں
اس قابل ہیں کہ بلا گورنمنٹ کی امداد کے اپنی چتائی لپیٹ دیں -
تو کسی depositor کا ایک پیسہ بھی ضائع نہیں ہو یہ اتفاق کی بات ہے
کہ ان دونوں بینکوں کے کارکنان یعنی کارج کرتا خطاب یافتہ لوگ رہے ہیں -

THAKUR RAMNANDAN SINHA: Probably the rule.

Khan Bahadur SAGHIRUL HAQQ: You put me to the painful necessity of supplying the information.

Dr. Sir GANESH DUTTA SINGH: The hon'ble member was not aware of it.

Khan Bahadur SAGHIRUL HAQQ:
ایک اور بات جو مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں
کہ کانگریس کے بعض احباب پرانی روش سے تقریر کرتے ہیں - اور یہ فرماتے
ہیں کہ سرکاری اہلکاران یعنی officials کا دخول اس ادارہ کو خراب کرتا ہے
مگر انہیں میں سے بعض احباب نے بعض موقع پر یہ بھی کہا ہے کہ پولیس
اب national police ہوگی پھر کیا ڈپٹی مجسٹریٹ یا سب ڈپٹی
مجسٹریٹ national نہ ہوے - آخر یہ بھی ہمارے بھائی ہی ہیں اور
یہی اس ادارہ میں کام کرتے ہیں -
علاوہ ازیں محض ایک افسر اسسٹنٹ رجسٹرار ضلع میں رہتے ہیں اور
انکی آواز اچھی قسم کے ڈائرکٹروں (Director) کی آواز کے اوپر غالب نہیں
ہوسکتی - چار وزرا بھی افیسر ہیں انکے پارلمنٹری سکریٹری جو سامنے
بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی افسر ہیں - اور ہم ٹھاکر صاحب کو بھی افسر ہی
سمجھتے ہیں - اس لئے افسر اور غیر افسر کا فرق اس معاملہ میں کوئی
اہمیت نہیں رکھتا - یعنی ہر طبقہ کے لوگوں کو اسمیں شریک ہونا چاہئے
اسلئے نہیں کہ اس ادارہ کی محض عیب چینی کریں بلکہ اسکو چلانیکی
انتہائی کوشش کریں - جبتک ہر شخص کی یہ روش نہیں ہوگی اسوقت
تک پوری کامیابی ممکن نہیں ہے -

Mr. PRABHUNATH SINHA :

सभापति जी, इस विषय पर सब से पहले सर गणेश दत्त सिंह का भाषण हम लोगों ने सुना। उसके बाद ठाकुर साहब बोले और सब से आखिर में खां बहादुर सगीरुल हक़ की स्पीच हुई है। इन स्पीचों के सुनने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि को-आपरेटिव सोसाइटियों के फ़ेल करने की जितनी वजहें बतलायी गयी हैं उनमें सैकड़े ७५ सही हैं। सोसाइटियों को पुनर्जीवित करने के लिए, मैं समझता हूं, सरकार की ओर से अभी जांच होरही है। जांच के बाद जो बात निकलेगी उसको देखकर सरकार अपनी आगे की नीति ठीक करेगी। डाइरेक्टर होने की हैसियत से हमलोगों का बहुत थोड़े दिनों तक इस मूवमेंट के साथ सरोकार रहा है। लेकिन उस ज़माने में इस मूवमेंट की उतनी बुरी हालत नहीं थी, जितनी आज हो चुकी है। सभी लोग यह कहते हैं कि पीछे की बातों को दुहराने से क्या फ़ायदा है, पर आगे किस तरह से काम होना चाहिए, इस सम्बन्ध में अभी तक किसी ने कोई सुझाव (suggestion) नहीं दिया है।

Mr. MUHAMMAD ABDUL MAJEED :

اس امر کو آپ پورا کر دیجئے ۔

Mr. PRABHUNATH SINHA :

मैं अपने सजेशन (suggestions) को तुरन्त दे रहा हूं। मैं यह नहीं कह सकता कि इस मूवमेंट में जितने आदमी आए वे सब रायबहादुर और खां बहादुर बनने के लिए आए। मैं यह भी नहीं कह सकता कि जिन अफसरों ने काम किया है, उनलोगों ने अफसरों के तरीक़े से काम किया है या नहीं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूंगा कि इस मूवमेंट को चलाने के लिए न आफिशियलस (officials) को और न नान-आफ़िशियलस (non-officials) को ही ट्रेन (train) किया गया है। इस मूवमेंट को चलाने के लिए यह ज़रूरी है कि सरकार कुछ आदमियों को ट्रेन (train) करे, उन्हें को-आपरेशन (co-operation) की स्प्रिट (spirit) से वाकिफ़ करे। उसी हालत में इस मूवमेंट की तरक्की हो सकती है। किन्तु यदि जांच (enquiry) करने के बाद यह पता चले कि हमारे यहां की परिस्थिति ऐसी नहीं है, जहां यह मूवमेंट चल सके, तो सरकार को हिम्मत के साथ यह भी कह देना चाहिए

कि इस प्रान्त से इस मूवमेंट को हटा दिया जाय। लेकिन यदि इस मूवमेंट के चलने की कुछ भी उम्मीद मालूम हो, तो सरकार के लिए वाजिब यही होगा कि वह कुछ लोगों को को-आपरेशन (co-operation) के सिद्धान्तों की शिक्षा दे और तब उनसे कामले। यह नहीं कि किसी जगह के लिए विज्ञापन (advertise) किया गया और एडूकेशनल क्वालीफिकेशन (educational qualifications) को देखकर बहाली भी करली गयी। इसी तरह की बहाली करने का नतीजा यह हुआ है कि यह मूवमेंट फेल कर गया है।

कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कोपरेटिव बैंक से जो कर्ज़ लेता है उसे थोड़ा रुपये तो बैंक से देदिये जाते हैं और बाकी रुपये के लिए उसे कोई दूसरा जरिया ढूंढ़ना पड़ता है। ऐसा करने से कर्ज़ लेनेवाले मनुष्य के खर्च पर बैंक का कोई अख़्तियार (control) नहीं होता। मैं समझता हूं कि जो फेमिली (family) इस मूवमेंट में शामिल है उसके हर खर्च पर सोसाइटी का अख़्तियार (control) होना चाहिए। ऐसा भी हुआ है कि रुपया लिया गया है यह कह कर कि हम कोई रोजगार करना चाहते हैं, पर वह रुपया खर्च किया गया है शादी-विवाह में। इन्हीं कारणों से यह मूवमेंट सफल नहीं हो सका है।

ऐसा देखा गया है कि ज़मीन्दार की बाकी मालगुजारी में जमीन नीलाम हो जाती है। ज़मीन रैयत के कब्जे में रहती है और मालगुज़ारी सेन्ट्रल बैंक से ज़मीन्दारों को ठीक समय पर मिलती रहती है इसलिए वे तो चाहेंगे कि रैयतों की ज़मीन नीलाम होजाय और उनकी मालगुज़ारी ठीक वक्त पर सेंटल बैंक देता रहे।

मैं तो सरकार से यह कहूंगा कि यदि वह इस मूवमेंट को चलाना चाहती है तो उसे एकसटेंसिव (extensive) तरीके से नहीं बल्कि intensive तरीके से काम करना चाहिए। एक, दो या चार थानों में उसे सबसे पहले concentrate करना चाहिए। सोसाइटी के मेम्बरों के खर्च पर जब तक सोसाइटी का अख़्तियार नहीं होता तब तक रुपया वसूल होने में दिक्कत होगी। सोसाइटी के मेम्बरों को को-आपरेशन

(co-operation) के सिद्धान्तों को जानना ज़रूरी है। जो सदस्य रुपया क़र्ज़ लेता है, उसके खर्च पर सोसाइटी को ध्यान और control रखना ज़रूरी है। बिना ऐसा किए यह मूवमेंट सफल नहीं हो सकता।

आनरेबुल मेम्बरों ने कहा है कि ईमान्दार अफसरों को रखना चाहिए। मैं कहता हूं कि सब कामों में ईमानदार अफसरों की जरूरत है। बिना ईमानदारी के कोई काम नहीं हो सकता। सब से जरूरी बात जो है वह यह है कि अफसरों को को-आपरेशन (co-operation) की स्प्रिट (spirit) से वाक़फ़ियत होनी चाहिए। किसानों को रुपया देने के समय यह नहीं देखा जाता कि उसके खेत की पैदावार क्या है, उसका पैदावार ठीक से होती है या नहीं, उसके मवेशी ठीक से रहते हैं या नहीं, उसमे क़र्ज़ अदा करने की शक्ति है या नहीं। इन सभी बातों का ख्याल करके रुपया क़र्ज़ देना चाहिए। इसके अलावे हमारे यहां हर पांच, सात साल पर दैवी आपत्ति (natural calamity) बाढ़, भूकम्प आदि आते रहते हैं और इनकी खेती पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बाढ़ से सारी की सारी फसल बरबाद हो जाती है। भूकम्प के बाद से तो करीब हर साल हमारे यहां बाढ़ आरही है और इससे खेती में जो नुकसानी होती है वह आपलोगों को मालूम ही होगा। इन सब बातों का एलाउएन्स (allowance) रख कर हम लोगों को किसी परिवार (family) का बजट बनाना होगा और तब देखना होगा कि उसकी लौटाने की शक्ति (repaying capacity) क्या है। जब तक इन बातों का लेहाज नहीं रखा जाएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा।

ठाकुर रामनंदन सिंह ने दो चार सोसाइटियों का अनुभव कहा है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप कहां का अनुभव कहते हैं तो जवाब में उन्होंने कहा कि मैं सारे बिहार का अनुभव कह रहा हूं। मैं कहता हूं इस मूवमेंट में सब तरह के लोगों ने काम किया है। यह नहीं कहा जा सकता कि जितने लोगों ने काम किया है वे सब खिताब के इच्छुक थे। ऐसे लोगों ने भी काम किया है जो खिताब नहीं चाहते थे। लेकिन हम लोगों ने तो इस सम्बन्ध में फैसलाही कर दिया है। हमारी सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि अब किसी को खिताब नहीं देनी चाहिए। इस लिए खिताब की वजह तो अब काम में बाधक हो ही नहीं सकती। यह काम

बहुत अच्छा है और यदि सभी लोग कोशिश करेंगे तो यह मूवमेंट चल भी सकता है। इससे गरीबों का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पार्लियामेंटरी सिक्रेटरी की स्पीच से मालूम हुआ है कि सोसाइटियों में सिर्फ १ प्रतिशत आदमी ही शामिल हैं, बाकी ९९ प्रतिशत आदमियों का काम बिना को-आपरेटिव (co-operative) से कर्ज़ लिये चल जाता है यदि ऐसी बात है और यदि गवर्नमेंट समझे कि यह मूवमेंट इस सूबे में नहीं चल सकता है या इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा तो वह साहस के साथ इन बातों को कह दें। यदि ९९ प्रतिशत आदमियों का काम बिना को-आपरेटिव (co-operative) से कर्ज़ लिये ही चलता है तो १ प्रतिशत आदमियों का काम भी बिना कर्ज़ के चल जायगा इसलिए गवर्नमेंट को इस प्रश्न पर अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। यदि गवर्नमेंट समझे कि यह मूवमेंट यहां के निवासियों के लायक नहीं है, और यह यहां सफल नहीं हो सकता, तो उसे बहादुरी के साथ इस बात को साफ़-साफ़ कह देना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी स्पीच खतम करता हूं।

Mr. DIP NARAYAN SINHA :

सभापति महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि आज बहुत से मेम्बरों ने अपनी राय ज़ाहिर की है और को-आपरेटिव मूवमेंट में अपनी दिलचस्पी दिखलाई है। यह मूवमेंट क्यों फेल किया या इसमें क्यों और कैसे खराबियां आयीं इसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि इस पर काफ़ी लोग बोल चुके हैं। इसके पहले भी कई अवसरों पर इसके बारे में इसी सभा में काफ़ी बहस हो चुकी है। हमारे मित्र खां बहादुर सगीरुल हक़ ने कहा है कि यह विषय एक खास विषय (highly technical) है, बात सही है मगर इस मूवमेंट को इस ख्याल से कभी चलाया नहीं गया। यह एक ऐसी बात है जिसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। पहले मैं इस सम्बन्ध में कुछ न कह कर सिर्फ एक बात की ओर गवर्नमेंट का ध्यान ले जाना चाहूंगा। को-आपरेटिव सोसाइटियों को चलाने के लिये एक रजिस्ट्रार की जरूरत होती आयी है। पर रजिस्ट्रारों की बहाली में शुरू से गलती होती गई। थोड़े समय के लिये वे लोग बहाल होते गये। अलावे इसके ऐसे आदमी रजिस्ट्रार बराबर ही बनाये गये जो को-

आपरेटिव मुवमेंट से एक दम अनभिज्ञ थे, उनको इसका कोई भी ज़ाती तजरबा नहीं था। दूसरे यह कि किसी रजिस्ट्रार को दो तीन वर्ष से अधिक इस विभाग में रहने का मौका नहीं मिला। जब उनको कुछ तजरबा हुआ तो इस मुहकमें से निकाल कर दूसरे मुहकमे में भेज दिये गये। इस रिवाज ने इस मूवमेंट को जितना नुकसान पहुंचाया है उसके बारे में जितना कहा जाय थोड़ा है। इसलिये अब जब कि फिर से सुधारने (rehabilitation) की स्कीम बनाई जा रही है तो गवर्नमेंट ऐसा नियम अवश्य बना दे या कोई ऐसी पालिसी निर्धारित कर दे जिसके मुताबिक इस किस्म की कार्यवाही आगे न हो यानी इस मवमेंट का सूत्रधार ऐसा आदमी हो जिसे उसका तजरबा हो और इस मूवमेंट से उसे जल्दी हटा कर दूसरी जगह न भेजा जाय।

मैं अब एक बात और कह कर बैठ जाऊंगा। सर गणेश दत्त सिंह ने कहा है कि को-आपरेटिव डिपार्टमेंट और सोसाइटियों को मनीलेण्डर्स ऐक्ट (Money-lenders' Act) से बरी कर देना चाहिये और इसका समर्थन हमारे खां बहादुर सगीरुल हक़ साहब ने किया है। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी बात है जिस पर हम जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। मैं बहुत अदब से यह कहूंगा कि मैं इसके बहुत खिलाफ राय रखता हूं। को-आपरेटिव डिपार्टमेंट और सोसाइटियों को मनीलेण्डर्स ऐक्ट (Money-Lenders' Act) से बरी करने से मुझे भय है कि मूवमेंट को नुकसान होगा और खां बहादुर ने जो फ़ायदा बताया है उसके बदले नुकसान होगा। हां, एकाध सेक्शन्स मनीलेण्डर्स ऐक्ट के हैं जिन से बैंकों और सोसाइटियों को बरी कर देने के पक्ष में मैं भी हूं। एक सेक्शन तो वह है जिसमें ज़मीन नीलाम करने की बात है कि अगर किसी के पास तीन एकड़ ज़मीन हो तो उसमें से सिर्फ दो एकड़ जमीन बिक सकती है। इसी तरह के और भी सेक्शन्स हैं जिनसे अगर को-आपरेटिव बैंकों और सोसाइटियों को बरी कर दिया जाय तो मुझे कोई एतराज न होगा। लेकिन दो तीन बातें ऐसी हैं जो मनीलेन्डरस क़ानून (Money-lenders Act) की जान हैं और उन से यदि बैंकों और सोसाइटियों को बरी कर दिया गया तो मेरे जानते बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक तो वह सेक्शन है जिसमें सूद का जिक्र है, दूसरा, जिसमें

दर-सूद है और तीसरा जिस दफा के ज़रिये दमदुपत का क़ानून इस सूबे में चलाया जा रहा है। इन तीन दफ़ाओं से अगर बेंकों और सोसाइटियों को बरी कर दिया जाय तो जैसा मैं ने पहले कहा है इससे नुकसान ही होगा। आप इतने तजरबे के बाद को-आपरेटिव मूवमेंट को फिर से दुरुस्त करने जा रहे हैं, इसको रिहैबिलिटेट (rehabilitate) करने जा रहे हैं। आप अगर यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बारह वर्षों में असल सूद के साथ वसूल कर लेंगे तो फिर इस मूवमेंट को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक को-आपरेटर की हैसियत से कहूंगा कि जैसा अभी चल रहा है उस तरह से इस मूवमेंट को आगे नहीं चलाना चाहिये। आप बारह वर्ष के बाद भी सूद लेना चाहते हैं जब कि आप बारह वर्षों के बाद मनीलेन्डर्स ऐक्ट द्वारा दूसरों को सूद लेने में रोकते हैं। तो क्या यह वाजिब होगा। मैं तो समझता हूं कि यह गैरवाजिब है। इसलिये मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि इस मामले पर खूब सोच विचार करने की ज़रूरत है। सोच विचार करने के बाद ही इस मामले का फैसला होना अच्छा है और इन दफाओं से को-आपरेटिव बैंक और सोसाइटियों को बरी (exempt) नहीं करना चाहिये। हां, एक बात है कि जितने पुराने क़र्ज़ हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनको मनिलेण्डर्स ऐक्ट की दफाओं से बरी कर दे। लेकिन आगे आने वाले कर्जों को अगर मनीलेण्डर्स ऐक्ट से बरी कर दिया गया तो हमारे जानते इस मूभमेंट की क़ब्र खोदनी होगा।

Dr. Sir GANESH DUTTA SINGH : Sir, many points have been raised, but I do not like to deal with most of them. It has been said by the Parliamentary Secretary Mr. Jagjiwan Ram that he expected to have new ideas from me. I think he was wrong in expecting new ideas from an old man. I expect new ideas from young men who have come with new ideas of Government.

(The Hon'ble Mr. Anugrah Narayan Sinha: You have experience of years.)

But I am disappointed when I find that they are also moving on the same line. I do not like to work this point further. It has been said that only 1 *per cent* of the people are benefited by this co-operative movement. I ask you what *percentage* of people has been benefited by the Imperial Bank. Not even one in thousand. Is that business to be closed. There is no question of what *percentage* of people has been benefited. I said if this movement is not put in right condition it will be greatest discredit to your country in which 99 *per cent* of the people

are involved. What face you will show to the people outside when you cannot manage your own affairs and your people dishonestly manage the affairs. You will be discredited before the world. There is another reason why you should help this movement. You have closed all doors of transaction by passing so many Acts. Now only one door is open for giving relief to the people—I mean the co-operative banks. Nobody will advance money in the villages. All those people who have got money will not risk it. But if the co-operative movement is properly safeguarded, they will advance their money through co-oprative banks. Well, if I have got money, I cannot go to my village to advance money to the villagers, but if I know that the co-operative department has got hold upon the people, can realise money from them, I can put my money in the hands of the co-operative department. Therefore, it is not a question of one *per cent*. It is a question for the benefit of all people, because in future all these people will be in difficulty for getting money. If you are in touch with villagers, specially your castemen, labourers, you will know it.

Now, as to the notification, I still consider, I do not mean that Government should issue it at once, that it should watch the situation and the moment the situation is getting worse Government should not delay in issuing the notification. It has been said that on acconnt of some difficulty money account be paid. What the society is to do? Whether it is to go in liquidation or to the civil court to realise the money. As long as the society is able to realise the money, it would not go in liquidation but will go to court and try to realise the money. Or if it goes in liquidation still the money is to be realised after sometime. What I mean is that if you find that any society or any locality is in difficulty in realising the money advanced, you can exempt that society from the operation of the Money-lenders' Act as the section is very wide so that there may not be any difficulty in realisation. I have said it before and again repeat it. The real credit lies in speedy realisation. If there is no speedy realisation, it does not matter whatever sympathy there may be, the movement is sure to suffer. My object was only to have a discussion on the matter and I do not want to press my motion.

The Hon'ble Mr. ANUGRAH NARAYAN SINHA: I do not think, Sir, any speech is necessary.

Dr. Sir GANESH DUTTA SINGH: Sir, I beg leave of the House to withdraw my motion.

The motion was, by leave of the Assembly, withdrawn.

The Hon'ble the SPEAKER:

(मि० शफी को तरफ इशारा करते हुए) आप अपने कट मोशन को move किजिए।